

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – डॉ. दिनेश राय सापेला, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 41/2023
रजिस्ट्रेशन नं. :2023/44


अभियुक्त :-

राजस्थान राज्य जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी वनाम
बांसवाड़ा (राज)

श्री अजय गुर्जर पुत्र श्री गणेश लाल गुर्जर
मैसर्स – श्री गणेश दुध डेयरी, शिव
कोलोनी, प्रताप सर्कल, वार्ड नं.6 बांसवाड़ा
अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक
अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 17.07.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री उम्मेद मल टेलर खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा (राज.) के द्वारा दिनांक 15-06-2023 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 12-03-2023 को 3.00 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु मैसर्स श्री गणेश दुध डेयरी, शिव कोलोनी, प्रताप सर्कल, वार्ड नं.6 बांसवाड़ा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री अजय गुर्जर पुत्र श्री गणेश लाल गुर्जर उपस्थित थे। विक्रेता एवं गवाहान् की उपस्थिति में मैसर्स श्री गणेश दुध डेयरी, शिव कोलोनी, प्रताप सर्कल, वार्ड नं.6 बांसवाड़ा का निरीक्षण करने पर दुकान में पनीर (लूज) लगभग 3 किलो फ्रिज में स्टील की ट्रे में रखा पाया। इसमें गुणवत्ता की कमी/ मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए पनीर (लूज) 1 किलो मिलाकर एक मेल कर/ मूल एक साफ सुखे व खाली स्टील की भगोनी में तुलवाकर/ नपवाकर वारते नमुना जाँच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 320/- रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तरदीक की। नमुना जाँच हेतु खरीदशुदा पनीर (लूज) 1 किलो-किलो को 4 साफ सुखे एवं खाली बोतलो में बराबर बराबर मात्रा में भरकर प्रत्येक बोतल में प्रिजर्वेटीव फॉर्मेलीन की 25-25 बुन्दे डालकर एयरटाईड ढक्कन बंद कर चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर  एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा का कोड क्रमांक W-1339 प्रत्येक नमूना भाग






निर्णयन अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सबस्टैण्डर्ड किया गया पनीर (लूज) को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 व नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी श्री अजय गुर्जर पुत्र श्री गणेश लाल गुर्जर मैसर्स - श्री गणेश दुध डेयरी, शिव कोलोनी, प्रताप सर्कल, वार्ड नं.6 बांसवाडा को रूपये 40000/- (अक्षरे रु चालीस हजार मात्र) से दण्डित कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के विन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 17.07.2023 खुले न्यायालय सुनाया गया।


(डॉ. दिनेश राय सापेला
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति० जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा